न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–सर्वेश्वर निम्बार्क आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–186/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
आरब पुत्र दातु जाति मुसलमान निवासी तालबाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी		1. उस्मत पत्नि शाहमीर 2. बचाया पुत्र रमदा 3. मुबलो पुत्र रमदा 4. अहमद पुत्र रमदा 5. होत पुत्र रमदा 6. शरीफ पुत्र रहीम 7. सकाती पत्नी रहीम 8. इब्राहीम पुत्र जामीन 9. अली पुत्र जामीन 10. हारूण पुत्र जामीन 11. अहमद पुत्र जामीन 12. हुसैन पुत्र जामीन 13. अली पुत्र माठिया 14. अहमद पुत्र खमीशा 15. अजीत पुत्र खमीशा 16. अपु पुत्र खमीशा 17. बचली पत्नी खमीशा 18. अमीन पुत्र पनु 19. रहमान पुत्र पनु 20. नुरदीन पुत्र पनु 21. मोहममद अली पुत्र पनु 22. खेरदीन पुत्र पनु 23. गाजी पुत्र पनु 24. बाईली पत्नी पनु जाति मुसलमान निवासी तालबाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी 25. प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया शाखा गुड़ामालानी 26. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा 27. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री रामजीवन विशनोई अधिवक्ता वादी।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

श्री भवंरलाल सारण अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 5 से 10 व 12 की ओर से।
प्रतिवादी स. 27 के पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 08.04.2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 24 की संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 137 रकबा 37.13 बीघा, खसरा संख्या 149 रकबा 11.00 बीघा, खसरा संख्या 173 रकबा 231.01 बीघा, खसरा संख्या 173/4 रकबा 99.03 बीघा व खसरा संख्या 181/151 रकबा 46.18 बीघा ग्राम तालबाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 13 से 24 के पूर्वपुरूष दातू का तथा 1/2 हिस्सा आचार जामीन पि. इब्रा का था। दातू के 4 पुत्र– वादी आरब, एवं प्रतिवादी सं. 13 के पिता माठिया, प्रतिवादी सं. 14 से 17 के पिता–पति खमीशा एवं 18 से 24 के पिता–पति पनु थे। इस प्रकार उक्त प्रत्येक थौक का वादग्रस्त भूमि में 1/8–1/8 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 12, जो जामीन व आचार के वारिस है, का है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं वक्त बन्दोबस्त, बन्दोबस्त अधिकारियों ने भूलवंश दातू पुत्र परता के 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किया, आचार के पुत्र रमदा को शामरी का पुत्र बताकर उसका 1/4 हिस्सा दर्ज किया तथा आचार जामीन पि. इब्राहिम 1/2 के स्थान पर "आचार जामीन इब्राहिम 1/2" अंकित कर दिया। जबकि रमदा वल्द शामरी नाम के किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा अपनी, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 13 की, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 14 से 17 की, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 18 से 24 की तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 12 की खातेदारी में घोषित करवाने, अपने 1/8 हिस्से की भूमि माफिक कब्जाकाश्त पृथक करवाने तथा अपने 1/8 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजियन कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीं सं. 1,,3,4,11 व 13 से 24 के बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2,5 से 10 व 12 की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारण ने जवाब प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों का खण्डन करते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार पक्षकारान की प्रविष्टि सही होना दर्ज किया है। उन्होने यह भी निवेदन किया कि बन्दोबस्त से इतनी दीर्घावधि गुजरने के बाद वादी ने प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि हड़पने की नीयत से गलत तथ्यों को आधार बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादी के वाद एवं प्रतिवादी सं.2,5 से 10 व 12 के जवाब के आधार निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम तालबाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 137 रकबा 37.13 बीघा, खसरा संख्या 149 रकबा 11.00 बीघा, खसरा संख्या 173 रकबा 231.01 बीघा, खसरा संख्या 173/4 रकबा 99.03 बीघा व खसरा संख्या 181/151 रकबा 46.18 बीघा भूमि में वादी अपना 1/8 हिस्सा घोषित करवाने का हकदार है– **जिम्मे वादी**
2. आया कि वादग्रस्त भूमि में वादी अपने 1/8 हिस्से की बाद घोषणा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने का हकदार है– **जिम्मे वादी**
3. आया वादग्रस्त भूमि में वादी अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है– **जिम्मे वादी**
4. आया वादग्रस्त भूमि में वक्त सेन्टलमेंट के समय वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम खातेदारी एवं हिस्सों का सही इन्द्राज हुआ था और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सोनुसार ही पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद लाने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है– **जिम्मे प्रतिवादी सं. 2,5 से 10 व 12**

वादी ने अपने वाद कथन के समर्थन में आरब पी.डब्लू 01, उमर पी.डब्लू 02, व नजीरखां पी.डब्लू 03, को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श पी–01 व खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श पी–02 पेश किए गए।

प्रतिवादी वकील द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होने का उल्लेख करने पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बन्दोबस्त रिकार्ड में वादी के पिता का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज होने तथा रमदा वल्द आचार को शामरी का पुत्र बताकर उसका गलत रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज होने से वादी राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियों एवं हिस्से दुरूस्त करवाते हुए तथा वादग्रस्त भूमि में अपना 1/8 हिस्सा घोषित करवाते हुए, अपने 1/8 हिस्से की भूमि माफिक कब्जाकाश्त पृथक करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 से 24 के विरूद्व अपने कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाा जारी करवाने का अधिकारी है।

हमने विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान के शपथ पत्रों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया।

तनकी सं. 1– वादी की वादग्रस्त भूमि में अपनी 1/8 हिस्से की दावेदारी से सम्बद्व है, जिसे सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है। बन्दोबस्त रिकार्ड में वादी के पिता दातू का 1/4 हिस्सा अंकित है और वर्तमान जमाबन्दी में उसके वारिसान, जिसमें वादी शामिल है, का

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार वादी का, दातू के चार पुत्रों में से एक होने से, 1/16 हिस्सा बनता है। यद्यपि वादी ने वादपत्र में अपना 1/8 हिस्सा तथा दातू का 1/2 हिस्सा होने का उल्लेख किया है और गवाहान ने उक्तानुसार उनके हिस्से होने का समर्थन किया है, तथापि वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसका वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा होने की पुष्टि होती हो ओर अदालत को बन्दोबस्त प्रविष्टियों में दुरूस्ती हेतु विचार करना पड़े। केवल मौखिक साक्ष्य किसी दावे की पुष्टि का आधार नहीं हो सकते। लिहाजा तनकी सं. 1 वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी सं. 2– वादी की वादग्रस्त भूमि में अपने 1/8 हिस्से का विभाजन किये जाने से सम्बद्व है। चूंकि तनकी सं. 1 के विवेचन में वादी स्वयं की 1/8 हिस्से का खातेदार साबित करने में विफल रहा है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी सं. 3– वादी के 1/8 हिस्से की स्थयी निषेधाज्ञा के अनुतोष से सम्बद्व है। चूंकि वादी तनकी सं. 1 के विवेचन में स्वयं को 1/8 हिस्से का खातेदार सिद्व करने में असफल रहा है। अतः उसे 1/8 हिस्से के सम्बन्ध मे स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिये जाने को कोई प्रश्न ही नहीं है। लिहाजा यह तनकी भी वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी सं. 4– प्रतिवादी सं. 2,5 से 10 व 12 के वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को यथावत रखने तथा वादी का वाद खारिज करने के प्रतिकथन से सम्बद्व है। यद्यपि वकील प्रतिवादी सं. 2, 5 से 10 व 12 द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होना बताने से वे एकपक्षीय हो चुके है, तथापि कोई भी दावा प्रतिदावेदार की विकलांगता पर खड़ा नहीं हो सकता। उसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों से पुष्ट करने का भार दावेदार पर होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी वकील वादी को वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्से का खातेदार साबित करने में विफल रहे है। अतः तनकी सं. 4 प्रतिवादी सं. 2,5 से 10 व 12 के पक्ष में निर्णीत करते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद में बन्दोबस्त काल की वादग्रस्त भूमि की जिन प्रविष्टियों को परिवर्तित करने की इस्तदुआ चाही है, अपने साक्ष्य सबूतों से अपनी दलीलों को साबित नही कर पाये है। केवल वाद कथन एवं मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों के आधार पर बन्दोबस्त प्रविष्टियों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा वादी का वाद साक्ष्य पुष्ट नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी